

२४/२१ प्राची अधिवक्ता उपस्थित।
जवाब प्राचीना पत्र पेश नहीं।
पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीना
पत्र दिनांक 13/9/21 को पेश
हो

9/13/२१ प्राची अधिवक्ता उपस्थित। जवाब
प्राचीना पत्र पेश नहीं। पत्रावली
वास्ते जवाब प्राचीना पत्र दिनांक
1/10/20२१ को पेश हो

10/२१ प्राची अधिवक्ता उपस्थित। जवाब प्राचीना
पत्र पेश नहीं करने पर बन्द किया गया।
बहस प्राची अधिवक्ता खुनी गई। प्राची
के द्वारा प्राचीना पत्र आ.१ नि.१८१८ में
अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्राचीना पत्र
स्वीकार किये जाने बाबत निवेदन किया।
पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्राची
के द्वारा प्राचीना पत्र आ.१ नि.१८१८ में
निवेदन किया है कि प्राची अधिवक्ता की
पत्रावली 52/2017 अनवान वीर सिंह
बनाम सरकार दिनांक 28/01/2021 को
अदम चेंखी, अदम हाजरी में खारिज कर
दी गई। उस दिन प्राची अधिवक्ता किडनी
रोग से ग्रस्त होने के कारण न्यायालय में
उपस्थित नहीं हो सका। उक्त अनवान की
पत्रावली रिस्योर किए जाने के आदेश फरमावे।
लिहाजा प्रकरण का निष्पत्ति गुणावगुण के आधार
पर किया जाना है। बिसे रिस्योर किया जाना
न्यायोचित है। प्रकरण सं. 53/2017 को रिस्योर
किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली मूल
वाद के साथ संलग्न रहे।

उपसभ्य अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपर